39
39

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

अपील प्रकरण क्रमांक A 2305/पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.05.2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 26/2013-14/विविध.

श्रीमती रेशमबाई पति अमरसिंह
निवासी ग्राम माकनी, तहसील बदनावर
जिला धार, म.प्र. .....अपीलार्थी

विरूद्ध

1. रूखमाबाई पति मांगीलालजी बलाई
   निवासी उमरिया बड़ा तहसील
   व जिला धार, म.प्र.
2. धापूबाई पति चंपालालजी बलाई
   मृत तर्फे वारिसान
   1. कैलाश पिता चम्पालालजी
   2. लक्ष्मीनारायण पिता चम्पालालजी
   3. तेजूबाई पिता चम्पालालजी
   4. संदीप पिता चम्पालालजी
   5. सीमा पिता चम्पालालजी
      सभी निवासी ग्राम गाजीखेड़ी
      तहसील बदनावर, जिला धार
3. सुनीता पिता बाबूलाल
4. सविता पिता बाबूलाल
5. सच्चिदानंद पिता बाबूलाल
   क्र. 3 से 5 नाबालिग तर्फे पालनकर्ता
   पिता बाबूलाल बलाई
   निवासी माकनी, तहसील बदनावर
   जिला धार, म.प्र. .....प्रत्यर्थीगण

श्री मुकेश तारे, अभिभाषक, अपीलार्थी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/9/18 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 27.05.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, धार के प्रकरण क्रमांक 310/2008-09/अपील में पारित आदेश दिनांक 26.06.2009 के विरूद्ध अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 15.10.2012 को अपीलार्थी के अभिभाषक की अनुपस्थिति के कारण उक्त प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया गया, जिसके पुनर्स्थापन हेतु अपीलार्थी द्वारा दिनांक 09.12.2013 को आवेदन पत्र मय शपथ पत्र तथा आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी द्वारा विलंब क्षमा हेतु उचित कारण प्रस्तुत न करने पर पुनर्स्थापन आवेदन प्रस्तुति में हुए लगभग एक वर्ष दो माह की अवधि को समयबाह्य मानकर समय बाधित अपील/पुनरीक्षण/पुनर्विलोकन को सुनने का अधिकार अपर आयुक्त को न होने के कारण पुनर्स्थापन आवेदन निरस्त किया गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारातर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 35(3) के प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित किया है। अत: इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्ती योग्य है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के एक महत्वपूर्ण बिन्दु पर ध्यान नहीं देकर त्रुटि की है कि प्रकरण में आपीलार्थी की अपील अदम पैरवी में निरस्त हुई है, जिसके लिए पक्षकार को दण्डित

नहीं किया जा सकता है। अत: इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्ती योग्य है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को पुर्नस्थापना का आवेदन निरस्त करते वक्त यह भी ध्यान नहीं दिया कि दिनांक 15.10.2012 को प्रकरण रिकॉर्ड बुलाने हेतु नियत था। अर्थात् प्रकरण में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि प्रकरण को अदम पैरवी में निरस्त किया जाना न्यायोचित होता। अत: इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्ती योग्य है।

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के इस तथ्य पर ध्यान ना देकर त्रुटि की है कि अपीलार्थी एक वृद्ध गरीब अनपढ़ ग्रामीण महिला है, जिसका हर पेशी तारीख पर इंदौर आना भी संभव नहीं है। साथ ही वह अपने द्वारा प्रस्तुत अभिभाषक पर ही निर्भर थी। अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा उसे कभी भी अपील का अदम पैरवी में निरस्त होने की सूचना नहीं दी थी। अत: इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्ती योग्य है।

(5) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत धारा 5 अवधि विधान के आवेदन का बिना उचित कारण बताये निराकरणकर विधिक त्रुटि की है। अत: इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्ती योग्य है।

(6) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में दर्शाये सद्भावी कारणों पर ध्यान न देकर धारा 5 का आवेदन निरस्त कर गंभीर त्रुटि की है। अत: इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्ती योग्य है।

(7) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में प्रस्तुत न्याय दृष्टांत का गलत अर्थान्वयन कर विवादित आदेश पारित किया गया है, क्योंकि उक्त न्याय दृष्टांत में यह निर्धारित नहीं हुआ है कि समय वर्जित अपील को सुनने हेतु अपील न्यायालय सक्षम नहीं है, जबकि विधि के प्रावधानों और वरिष्ठ न्यायालय द्वारा दिये गये मार्गदर्शक निर्णयों के अनुसार अपीलीय न्यायालय को समयवर्जित अपील के निराकरण के समय धारा 5 अवधि विधान के आवेदन पर लचीला दृष्टिकोण रखना चाहिए एवं पक्षकारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए हर प्रकरण को उसके गुण-दोषों पर निराकरण करना चाहिए, यही स्थापित विधि है। अत: इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्ती योग्य है।

(8) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की अपील के पुनर्स्थापना की अपील को यह कहते हुए निरस्त कर विधिक त्रुटि की है कि "जब कोई अपील समयवर्जित हो तब अपील न्यायालय उसे सुनने के लिए सक्षम नहीं है।" जबकि सद्भावी कारण से अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब की माफी देकर अपील गुणदोषों पर सुनने का क्षेत्राधिकार अवधि विधान की धारा 5 के अनुसार अपीलीय न्यायालय को ही दिया गया है।

अत: उनके द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2014 व दिनांक 15.10.2012 निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ प्रत्यर्थीगण के पेशी दिनांक 16.05.2018 में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील आवेदन दिनांक 15.10.2012 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया था, जिसके पुनर्स्थापन हेतु आवेदक द्वारा दिनांक 09.12.2013 को पुनर्स्थापन आवेदन प्रस्तुत किया था। उक्त पुनर्स्थापन आवेदन बहुत ही अधिक विलंबित था (लगभग एक वर्ष दो माह की अवधि), जिसे क्षमा किये जाने हेतु अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में कोई वैधानिक तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा अपील निरस्त कर आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अत: अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2014 स्थिर रखा जाता है। अपील निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर